



## बिहार विधान परिषद्

208वां शीतकालीन सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

28 नवम्बर, 2024

----

[गृह - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - योजना एवं विकास - श्रम संसाधन - वित्त विभाग - वाणिज्य कर - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - परिवहन - जल संसाधन - लघु जल संसाधन - समाज कल्याण - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण ] .

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 8

----

शराब से जुड़ी शिकायतों पर की गई कार्रवाई

25. श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जाती है और इस नंबर पर आने वाले शिकायतों का त्वरित निबटारा होता है;

(ख) क्या यह सही है कि मद्य निषेध के टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों को जिला और थाना स्तर पर कार्रवाई के लिए ट्रांसफर कर शिकायतों की मुख्यालय स्तर से मानीटरिंग की जाती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2016 से 2024 तक मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी शिकायतों पर की गई अद्यतन कार्रवाई से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

----

## वरनाल जलाशय योजना

26. श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिला के सोनो प्रखंड अन्तर्गत वरनार जलाशय योजना का कार्य अधुरा पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि जनहित में सिंचाई कार्य हेतु वरनार जलाशय योजना का निर्माण काफी आवश्यक है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वन विभाग के साथ समस्या का समाधान कर वरनाल जलाशय योजना का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### बीयर का निर्माण

27. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लोअर मोरहर नदी के मियाचक से गोरैया खारी के बीच सिंचाई हेतु नदी पर कोई बीयर नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान के बीच बीयर निर्माण होने से नदी के दोनों छोड़ पर हजारो हेक्टर खेतों में सिंचाई किया जा सकता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मोरहर नदी के मियाचक एवं गोरैया खारी के बीच किसी स्थान पर बीयर का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### अवैध चिमनी भट्टा को बंद करना

28. श्री खालिद अनवर (विधान सभा):

क्या मंत्री, **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प्रदूषण के लिए सघन आबादी वाले इलाके , स्कूल के बगल में चिमनी भट्टा का संचालन नहीं करना है ;

(ख) क्या यह सही है कि जमुई जिला के सोनो प्रखण्ड अन्तर्गत बटियाबाजार में स्कूल के समीप सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर लालु वर्णवाल इंटरप्राईजेज नाम का चिमनी भट्टा

अवैध रूप से चलाया जा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध रूप से बटिया बाजार में चल रहे चिमनी भट्टा को बंद कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

-----

### तटबंध का पुनः निर्माण

29. श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा 01 प्रखंड में खैरटवा के नजदीक तटबंध का निर्माण कराया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तटबंध इस वर्ष आई बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त/ टूट चुका है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तटबंध का पुनः निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

-----

### बकाया वेतनादि का भुगतान

30. श्री मो. सोहैब (विधान सभा):

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मो० मसी उल हसन, ग्राम-राजपुर, प्रखंड-सबौर जिला-भागलपुर की नियुक्ति लघु सिंचाई, प्रमण्डल भागलपुर में नलकुप चालक के पद पर दिनांक- 01.12.1979 को हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक- 30.11.2011 को लघु सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर से हुई है, इन्हें पूरे सेवा काल में मात्र 2 ए०सी०पी० का लाम प्राप्त हुआ, जबकि इनके साथ नियुक्त सभी कर्मियों को 3 ए०सी०पी० का लाम देते हुए सभी 21 कर्मियों को भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मो० मासीउल हसन को भी अन्य कर्मियों की तरह 3 ए०सी०पी० का लाम देते हुए बांका, कार्यपालक अभियंता के यहाँ लंबित मामले का निष्पादन कर अविलम्ब सभी बकाया वेतनादि का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

-----

## सिंचाई नाला की सफाई एवं जिर्णोद्धार

31. श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिला के सोनो प्रखंड अन्तर्गत बैरबा / बैरभा नदी के छिलका से खपड़िया जोत तक सिंचाई कार्य हेतु सिंचाई नाला की सफाई एवं जिर्णोद्धार की आवश्यकता है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिंचाई नाला की सफाई एवं जिर्णोद्धार का कार्य कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

----

### ‘हर खेत को पानी’ योजना

32. श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बाँका जिला के बाराहाट प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम चचरा के कुम्भर सिंचाई पोखर एवं हैबतपुर में सिंचाई पोखर का निर्माण सिंचाई योजना "हर खेत को पानी" के तहत कराने की आवश्यकता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सिंचाई पोखर का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

----

पटना- 800015.  
28 नवम्बर, 2024.

अखिलेश कुमार झा,  
सचिव, बिहार विधान परिषद्